न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 46/2020/दावा 136 एलआरएक्ट

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्सा राम निवासी अमरपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 18.12.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 262, 368, 369 किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 खसरा नम्बर 299, 302, 319/411, 320, 321, 322, 324, किता 7 कुल रकबा 3.38 है0 खसरा नम्बर 34/404, 37 लगायत 43, 52/406, 53 लगायत 59 किता 16 कुल रकबा 4.96 है0 वाके ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में वादी हक हिस्से का काबिज काश्तकार है ओर अपने हक हिस्से की आराजियात पर बहैसियत मालिक काबिज काश्तकार निरन्तर रूप से चला आ रहा हैं। वादी के पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद वादी के हक में विरासत का नामान्तकरण गांव परिवार के लोगों के कहे अनुसार वादी के नाम लिछमणराम पुत्र बक्साराम / लिछमण पुत्र बक्साराम के नाम से भरकर राजस्व रिकार्ड में उसके अनुसार दर्ज करवा दिया गया प्रार्थी को बचपन से ही लिछमणराम व लक्ष्मीनारायण दोनों नामों से गांव परिवार रिस्तेदारों में जाना पहचाना जाता है जबकि वादी के स्कूल रिकार्ड शेक्षणिक दस्तावेज तथा राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड में लक्ष्मीनारामयण पुत्र बक्साराम नाम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से लिछमणराम पुत्र बक्साराम लिछमण पुत्र बक्साराम दर्ज आ रहा है जो कि गलत है इसलिए वाद में उपरोक्त भूमियों में वादी का सही नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्साराम उद्घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गया तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया तथा वादी का नाम आधार कार्ड के अनुसार जमाबन्दी में नहीं होने की वजह से वादी

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

सरकारी सहायता व योजनाओं को प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। वादी का नाम दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 262, 368, 369 किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 खसरा नम्बर 299, 302, 319/411, 320, 321, 322, 324, किता 7 कुल रकबा 3.38 है0 खसरा नम्बर 34/404, 37 लगायत 43, 52/406, 53 लगायत 59 किता 16 कुल रकबा 4.96 है0 वाके ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लिछमणराम पुत्र बक्साराम व लिछमण पुत्र बक्साराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्सा दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी ने स्वयं तथा अन्य सहखातेदार पोखरमल पुत्र बक्सा राम के बयान कलमबद्ध किये गये तथा निवेदन किया कि वादी का सही नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्साराम किया जाना सादर प्रार्थनीय है। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम लिछमणराम पुत्र बक्साराम व लिछमण पुत्र बक्साराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तिविक नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्सा दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। वादी व सहखातेदार के लिए गये कलमबद्ध बयानों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सहखातेदार के बयान एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 262, 368, 369 किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 खसरा नम्बर 299, 302, 319/411, 320, 321, 322, 324, किता 7 कुल रकबा 3.38 है0 खसरा नम्बर 34/404, 37 लगायत 43, 52/406, 53 लगायत 59 किता 16 कुल रकबा 4.96 है0 वाके ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी का नाम लिछमणराम पुत्र बक्साराम व लिछमण पुत्र बक्साराम के स्थान पर वादी का सही** व **वास्तिविक नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्साराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
ब्यअपस त्तवबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्ष . 1द्ध

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

लक्ष्मीनारायण बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 46 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक. 18.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री आनन्द राड़** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 262, 368, 369 किता 2 कुल रकबा 0.74 है0 खसरा नम्बर 299, 302, 319 / 411, 320, 321, 322, 324, किता 7 कुल रकबा 3.38 है0 खसरा नम्बर 34 / 404, 37 लगायत 43, 52 / 406, 53 लगायत 59 किता 16 कुल रकबा 4.96 है0 वाके ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का मुण्डियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी का नाम लिछमणराम पुत्र बक्साराम व लिछमण पुत्र बक्साराम के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र बक्सा राम संशोधित करने की उदघोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ